भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3452 10 दिसंबर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : औद्योगिक उपयोग वाला सन का पौधा

3452. श्री टी आर वी एस रमेशः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या मंत्रालय राज्य सरकारों की यह धारणा दूर करने के लिए कोई कदम उठा रहा है कि औद्योगिक उपयोग वाला सन का पौधा गैर नशीले 'गांजे के पादप की प्रजाति' से संबंधित है, ताकि इस पौधे के व्यावसायिक उत्पादन की समन्वय प्रक्रिया श्रू हो सके;
- (ख) औद्योगिक रूप से उपयोगी सन के पौधे के उत्पादन में समन्वय स्थापित करने के लिए अब तक कितने राज्यों ने नीति बनाई है; और
- (ग) देश से कितनी मात्रा में औद्योगिक उपयोग वाले सन के पौधों और उत्पादों का निर्यात किया गया है?

<u>उत्तर</u> कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ख): नशीली दवाइयों तथा नशीले पदार्थों (एनडीपीएस) अधिनियम, 1988 की धारा 8 के अनुसार चिकित्सालय या वैज्ञानिक उद्देश्य को छोड़कर गांजा पौध (सन) की खेती को प्रतिबंध करता है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 10, धारा 8 के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकारों को किसी भी सन पौधे की खेती, उत्पादन निर्माण, अधिकार परिवहन, अंतर-राज्य आयात, अंतर-राज्य निर्यात, ब्रिकी, खरीद खपत या सन के उपयोग (चरस के बिना) की अनुमति तथा विनयमित का अधिकार देती है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 14 में सन से संबंधित विशेष प्रावधानों को रखा गया है जिसमें अधिनियम सरकार को सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा बागवानी एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से सन की खेती करने की अनुमति का अधिकार देती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के साथ परामर्श में तैयार नशीली दवाइयों पर राष्ट्रीय नीति औद्योगिक तथा बागवानी उद्देश्यों के लिए सन की खेती के लिए प्रावधान करती है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तराखंड की सरकार राज्य में सन की खेती विनियमति करती है।

(ग): पिछले दो वर्षों एवं वर्तमान वर्ष (सितंबर 2019 तक) के दौरान सन का निर्यात इस प्रकार है-

आईटीसीएचएस	विवरण	यूएस\$ में मूल्य		
		2017-18	2018-19	2019-20
530210	असली सन कच्चा या गीला	1213	407	0
530820	असली सन रेशे	71	2808	40
	कुल >	1284	3215	40

स्त्रोतः वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस), कोलकाता
